"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 मई 2023 — वैशाख 9, शक 1945

परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–10/आठ–परि./2022. – यतः, राज्य शासन की राय है कि ''श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, सेक्टर–02, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)'' के स्वामित्व के मोटरयान वाहन क्रमांक सीजी–04–एन.टी./7019 (32 सीटर एसएमएल इसुजू बस) को लोक हित में मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करना समीचीन होगा;

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, "श्री सत्य सांई संजीवनी हॉस्पिटल, सेक्टर—02, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)" के स्वामित्व के मोटरयान क्रमांक सीजी—04—एन.टी. / 7019 (32 सीटर एसएमएल इसुजू बस) को, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 19th May 2023

NOTIFICATION

No. F 5-10/VIII-Trams./2022. — Whereas, the State Government is of the opinion that it would be expedient to exempt the Motor Vehicle Number CG-04-NT/7019 (32 seater SML ISUZU Bus) owned by the "Shri Satya Sai Sanjeevani Hospital Sector-02, Nava Raipur (Chhattisgarh)" from payment of motor vehicle tax in public interest;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts the Motor Vehicle Number CG-04-NT/7019 (32 seater SML ISUZU Bus) owned by the "Shri Satya Sai Sanjeevani Hospital Sector-02, Nava Raipur (Chhattisgarh)" from the payment of motor vehicle tax leviable under Section 3 of the said Adhiniyam, with effect from the date of issuance of this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, R.P. PANDAY, Deputy Secretary.